

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठसीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2020 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 17.02.2020
G.C.M.S. NO.:-2020/00056

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 102 कंचन अपार्टमेंट एल.बी.एस.
कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्रीमति सुशीला बाई पत्नि स्व. श्री सुरेश चन्द बलाई पता:- 470, घोबियों का मौहल्ला, कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
- 2-श्री अनिल कुमार मालवी पुत्र स्व. श्री सुरेश चन्द मालवी पता:- 470, घोबियों का मौहल्ला, कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
- 3-श्री राजेश कुमार मालवी पुत्र स्व. श्री सुरेश चन्द मालवी पता:- 470, घोबियों का मौहल्ला, कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
- 4-दीपांशी मालवी पुत्री स्व. श्री सुरेश चन्द मालवी पता:- 470, घोबियों का मौहल्ला, कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ जरिये प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमति सुशीला बाई पत्नि स्व. श्री सुरेश चन्द बलाई (माता)
- 5-श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री गौरी लाल पता:- मकान नम्बर 641, अन्ना चौक, कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

-अप्रार्थीगण


प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री रतनलाल कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 19.01.2021

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 3,00,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।


कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़



प्रकरण संख्या 30/2020 (रे.वि.)
जम्बो फिन्वेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड बनाम श्रीमति सुशीला बाई पत्नि स्व. श्री सुरेश चन्द बलाई निवासी कनेरा कनेरा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षीगण के सूचना पत्र लेने से इन्कार की टिप्पणी के साथ प्राप्त। अतः विपक्षीगण द्वारा सूचना पत्र लेने से इन्कार करने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

पता:- ग्राम कनेरा, ग्राम पंचायत कनेरा, पंचायत समिति व तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के ससरा नम्बर 938 में स्थित है, माप लगभग 264 वर्गफीट है चतुर्सीमाएं:-

पूर्व :- आम रास्ता

पश्चिम :- श्याम लाल/भगवान मेघवाल का मकान

उत्तर :- आम रास्ता

दक्षिण :- जगदीश चन्द का मकान

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 07.08.2019 तक राशि रुपये 2,88,330/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटॉरिजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटि इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'



(के. के. शर्मा)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़